राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

फोन नं0 0141–2221812, ई–मेल:– pcpndt-rj@nic.in

क्रमांक : रा0पी0प्र0/स्वा0 प्रबं0/SSB Meeting/2018/547 दिनांक : 02/07/2018

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 23.05.2018 को प्रातः 11.00 बजे राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड पीसीपीएनडीटी की बैठक पदेन अध्यक्ष, राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं माननीय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 मंत्री श्री कालीचरण सर्राफ महो0 के निर्देशानुसार राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (प0क0), झालाना डूंगरी जयपुर में आयोजित की गयी। बैठक में संलग्न सूची परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार माननीय सदस्य राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व अन्य सम्बन्धित आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया।

अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं शासन सचिव (प0क0) महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया तथा बैठक के एजेण्डा आइटम का सक्षिंप्त ब्योरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड के माननीय सदस्यों द्वारा प्रत्येक एजेण्डा आईटम पर चर्चा करके सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये।

1. राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की दिनांक 30.01.2018 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।
2. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा अधिनियम की पालना एवं प्रभावी क्रियान्विती के लिये किये जा रहे कार्यों कि जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अधिनियमानुसार राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड एवं राज्य सलाहकार समिति का गठन पूर्ण है एवं बैठक नियमित अन्तराल में समय–समय पर अधिनियमानुसार आयोजित की जा रही है।
3. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने पीसीपीएनडीटी अधिनियमानुसार राज्य में किये जा रहे पंजीकृत केन्द्रों के निरीक्षणों की जानकारी से बोर्ड को अवगत करते हुए निरीक्षणों में वर्ष 2018 में मई, 2018 तक कुल 1214 निरीक्षण समुचित प्राधिकारी द्वारा किये गये है व अधिनियम के लागू होने से आज दिनांक तक कुल 14217 निरीक्षण किये जा चुके है। माननीय अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड महोदय ने निर्देश दिये की जिले के समुचित प्राधिकारी को अधिनियमानुसार प्रत्येक सोनोग्राफी केन्द्र का समय पर निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित है एवं भ्रूण लिंग जांच करने वाले चिकित्सक/सोनोग्राफी केन्द्रों को चिन्हित कर सूचना राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी जयपुर को भिजवाई जावें।
4. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी महोदय ने राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड को राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ द्वारा किये जा रहे डिकॉय ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया की राज्य में अब तक कुल 115 डिकॉय ऑपरेशन एवं पिछली बैठक से अब तक कुल 13 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये जा चुके हैं जिसमें से 5 अन्तर्राज्यीय डिकॉय ऑपरेशन गुजरात एवं नई दिल्ली राज्य में किये गये हैं। अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की राज्य में वर्ष 2018 में अब तक कुल 19 सफल डिकॉय ऑपरेशन किये गए हैं।

5. अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी जयपुर ने माननीय अध्यक्ष एवं बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत राज्य में अब तक 19 सोनोग्राफी मशीन के आयातकर्ता, निर्माता कम्पनियों, डीलरों, सप्लायरों इत्यादि को पंजीकृत किया जा चुका है एवं कुल 15 लाख रूपये का पंजीकरण शुल्क राजकीय कोष में जमा कराये जा चुके है। एवं नवीन प्राप्त आवेदन पर पंजीयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी ने संदन को अवगत कराया कि पंजीकरण से प्राप्त राशि को पीसीपीएनडीटी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं डॉटर्स ऑर प्रिशियस कार्यक्रम के साथ अन्य जागरूकता कार्यक्रमों के लिए उपयोग लिया जायेंगा। इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों ने अपनी अनुशंषा प्रदान करते हुए अपनी सहमति प्रदान की।
6. पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 9(6) के अनुसार पंजीकृत केन्द्रों को 2 वर्ष तक का संधारित रिकॉर्ड सुरक्षित रखने एवं विधिक कार्यवाही लम्बित होने की स्थिति में विधिक कार्यवाही पूर्ण होने तक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का प्रावधान है। जिले के जिला पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक पंजीकृत केन्द्रों से प्राप्त होने वाला फॉर्म 'एफ' को रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा गया है। उक्त रिकॉर्ड को रखने के लिए जगह की कमी एवं रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की समय सीमा के सम्बन्ध में माननीय बोर्ड निर्देशानुसार विशेषज्ञ कमेंटी बना कर विधिक राय ली गयी। जिसके अनुसार तीन वर्ष तक का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है। उक्त विधिक राय पर माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गयी एवं निर्णय लिया गया की जिलों के पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को प्राप्त होने वाले फॉर्म 'एफ'/रिकॉर्ड यदि विधि कार्यवाहियों से सम्बन्धित हो तब विधि कार्यवाहियों के अन्तिम निपटारे यथा परिवाद, अपील, रिट व विनियमाक कार्यवाही के अन्तिम निस्तारण तक एवं विधिक कार्यवाहियों से सम्बन्धित दशा में प्राप्त होने वाला रिकॉर्ड को तीन वर्ष तक की अवधि तक ही सुरक्षित रखेगें एवं पूर्व का रिकॉर्ड जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में कमेंटी गठित कर रिकॉर्ड का निस्तारण करेगी एवं सूचना राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी।

➢ बैठक का सामापन अध्यक्ष महोदय व सभी प्रतिभागी सदस्यों का धन्यवाद के साथ किया गया।

(नवीन जैन)
शासन सचिव (प0क0)
एवं मिशन निदेशक (एनएचएम),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ प्रेषित है :-

A

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार। **(Email :- sahealthminister@gmail.com)**
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्रीमती अल्का सिंह गुर्जर, माननीय विधायक बांदीकुई, दौसा, मोबाईल नं. 9414077990
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।

5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। **(Email :- ph-sje@rajasthan.gov.in)**
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर। **(Email :- secretarylaw.rajasthan@rediffmail.com)**
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निजी सहायक, निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
9. अतिरिक्त निदेशक, परिवार कल्याण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
10. डॉ0 नीता पाटनी, सामाजिक विज्ञानी, डी–8, गणेश मार्ग, बापू नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414238226 I **(E-mail:-neetapatni@gmail.com)**
11. श्री कानसिंह राठौड, विधि विशेषज्ञ, बी–140, आचार्य विनोबा भावे नगर, वैशाली नगर, जयपुर मोबाइल न0 9414123444
12. श्रीमती सीमा दया, महिला कार्यकर्ता, 3–जनाना अस्पताल परिसर, जयपुर मोबाइल न0 9829363672 **(Email :- seemadaya3@gmail.com)**
13. श्रीमती मंजू शर्मा, महिला कार्यकर्ता, 107–यूनिक सांधी अपार्टमेंट, महावीर नगर, टोंक रोड, जयपुर मोबाइल न0 9829394789 **(E-mail:- manjusharmabjp@gmail.com)**
14. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ, 4–YA-20, जवाहर नगर, जयपुर मोबाइल न0 9829057336 **(E-mail:- drsumanmittal@gmail.com)**
15. डॉ0 मृदुल गहलोत, महिला रोग विशेषज्ञ, 2 आकांक्षा गहलोत बंगला, अजमेर रोड, जयपुर मोबाइल न0 9414044445 **(Email :- drmridulgehlot@yahoo.com)**
16. डॉ0 तरूण पाटनी, अनुवांशिकी विज्ञानी, 119–केशव विहार, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर मोबाइल न0 9829216070 **(Email :- drtarunpatni@hotmail.com)**
17. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी, पी–50, राज आंगन एनआरआई कॉलोनी, प्रतापनगर, जयपुर मोबाइल न0 9571106777
18. डॉ0 सतीश जैन, रेडियोलॉजिस्ट, 28–95, भार्गव पथ, मानसरोवर, जयपुर मोबाइल न0 9314285434 **(Email :- drskjain007@gmail.com)**
19. डॉ0 भोपाल सिंह भाटी, सोनोलॉजिस्ट, चम्बल रेजिडेंसी सिविल लाइन्स, सीएमएचओ कार्यालय के सामने, नयापुरा, कोटा मोबाइल न0 9461515147 **(E-mail:-gopal.bhati.gb@gmail.com)**
20. डॉ0 आर.के. गुप्ता, राजस्थान मेडिकल सेन्टर, रेडियोलॉजिस्ट, जोधपुर।
21. डॉ0 अनिता गोयल, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सी–201 उन्नति रेजिडेन्सी सेक्टर–1 विद्याधर नगर जयपुर।
22. डॉ0 रिमी शेखावत, सामाजिक कार्यकर्ता, मरूधर हॉस्पिटल खातीपुरा, जयपुर।
23. श्री राकेश वर्मा, मीडिया सदस्य, 27 बरकत नगर टोंक फाटक, जयपुर।

B

1. निजी सचिव, शासन सचिव (प0क0 एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।

C

1. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक (एनएचएम) एवं निदेशक (आईईसी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान मेडिकल कॉन्सिल, बाईस गोदाम, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, राजस्थान जयपुर।

D

1. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) एवं उप निदेशक (आरसीएच), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक अभियोजन (पीसीपीएनडीटी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक (SIHFW) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को बैठक हेतु सभागार बुक करने एवं जलपान तथा लेख सामग्री (फोल्डर, नोटबुक एवं पैन) की व्यवस्था करें।
4. सलाहकार आईटी को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिवस को पॉवर पॉइन्ट प्रस्तुति की समुचित व्यवस्था करावें।
5. प्रभारी पीबीआई/प्रभारी अपराध शाखा/विधि विशेषज्ञ राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/ सलाहकार आईईसी/सलाहकार विधि (एनएचएम), मुख्यालय जयपुर।
6. जिला समन्वयक (पीसीपीएनडीटी), जयपुर प्रथम, जयपुर द्वितीय, दौसा, अलवर, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, झुन्झुनू, बून्दी राजस्थान।
7. सेन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।
8. संबंधित रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी),
एवं उप निदेशक (आरसीएच),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान जयपुर।

परिशिष्ठ 'अ'

1. श्री काली चरण सर्राफ, माननीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड राजस्थान सरकार।
2. श्री नवीन जैन अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकारी एवं शासन सचिव (प0क0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री बछनेश अग्रवाल, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. डॉ0 जगदीश प्रसाद, प्रतिनिधी अतिरिक्त मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर, राजस्थान।
5. श्रीमती चंचल मिश्रा, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. डॉ0 एस0एम0 मित्तल, निदेशक, प0क0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
7. डॉ0 अमिता कश्यप, निदेशक (SIHFW), राज्य स्वास्थ्य एवं प0क0 संस्थान, जयपुर, राजस्थान।
8. डॉ0 ओ0पी0 थाकन, अतिरिक्त निदेशक, प0क0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।
9. श्री कानसिंह राठौड (सदस्य) विधि विशेषज्ञ।
10. डॉ0 सुमन मेहंदी रत्ता, महिला रोग विशेषज्ञ।
11. डॉ0 सुषमा शर्मा, आनुवांशिकी विज्ञानी।
12. श्री बी0एल0 गोयल, एसए, एमओएचएफडब्लू, जयपुर, राजस्थान।
13. श्री गोविन्द पारिक, उप निदेशक (आईईसी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर, राजस्थान।